उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या- 12/2024/672 पू0वि0नि0/35-1-2023
लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2024

<u>संशोधन/शुद्धि पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद गोंण्डा की 06 परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति संबंधी शासनादेश सुख्या-65/2023/446/ 35-1002(099)/3/2023-1 दिनांक 21.12.2023 के द्वारा रू0 1782.62 लाख (रू0 सत्रह करोड बयासी लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर -2 की छठी लाइन में सूची में अंकित 06 परियोजनाओं की कालम संख्या-8 में अंकित कुल धनराशि रू0 2677.38 लाख (रू0 छब्बीस करोड सतहत्तर लाख अडतीस हजार मात्र) के स्थान पर धनराशि रू0 1782.62 लाख (रू0 सत्रह करोड बयासी लाख बासठ हजार मात्र) पढा जाय।

2 प्रश्नगत शासनादेश सुख्या-65/2023/446/35-1002(099)/3/2023-1 दिनांक 21.12.2023 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए तथा शासनादेश की अन्य शर्तें, नियम एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-12/2024 /672 पू0वि0नि0(1)/35-1-2023तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
7. मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
8. मुख्य विकास अधिकारी, गोण्डा।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोण्डा।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोण्डा।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा।
13. गार्ड फाइल।

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।